मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 2, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा द्वितीय चक्र में किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 84 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 72 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर सूची में से सदस्यों के नाम पुकारे जाने के बाद भी प्रश्नोत्तर के लिए नियत समय समाप्त नही हुआ फलत: कार्यसूची के अनुसार अगला विषय लिया गया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के सदस्य शून्यकाल के दौरान पंचायत चुनाव में कथित अनियमितताओं की घटनाओं पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में शिक्षा कर्मियों को 6-7 महीनों से वेतन का भुगतान न होने,

(2) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बालाघाट जिले के तहसील लांजी के ग्राम सोमलपुर निवासी कृषक द्वारा खेती के लिये लिया ऋण न पटाने से मृत्यु होने,

(3) श्री झनकलाल ठाकुर, सदस्य ने शासकीय महाविद्यालय दमुआ का भवन निर्मित किये जाने,

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा पंचायत चुनाव में कथित अनियमितताओं की घटनाओं पर चर्चा नहीं कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने सुमावली विधानसभा क्षेत्र की बागचीनी मोघना जवाहर सड़क की हालत जर्जर होने, तथा

(5) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य ने छतरपुर जिले के चंदाला थाना लौड़ी के अंतर्गत पंचायत चुनाव के दौरान एक व्यक्ति का अपहरण एवं एक की गोली मार कर हत्या का प्रयास किये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचना प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004,

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, तथा

(3) श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री गृह ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2002-2003

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के अनेक ग्रामों में पर्याप्त बिजली न मिलने से बोनी न होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण "शिवपुरी जिले में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नही हो सकी)

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री फूलचन्द्र वैदिया, सदस्य ने शाजापुर जिले के -

(क) ग्राम भैसोदा से बड़ागांव तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम गोन्दलमऊ, कोटड़ी, लटूरी गहलोत, कचनारिया एवं डोंगरगांव में 132 के.वी. के ग्रिड लगाये जाने,

(ग) नलखेड़ा नगर स्थित कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने ; तथा

(घ) ग्राम मोड़ी से लटूरी तक सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

6. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ.नरोत्तम मिश्रा (भाषण अपूर्ण)

(चर्चा अपूर्ण)

(1.02 बजे से 2.34 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(चर्चा अपूर्ण)

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2005 को सम्पन्न हुई। जिसमें वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूह पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है		निर्धारित समय
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री	1	सामान्य प्रशासन	2 घन्टे 30 मि.
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		3	पुलिस	
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		12	ऊर्जा	
		14	पशुपालन	
		29	विधि और विधायी कार्य	

(1)	(2)		(3)	(4)
		32	जनसंपर्क	
		65	विमानन	
		69	सूचना प्रौद्योगिकी	
		71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (वायोटेक्नॉलाजी)	
		85	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस	
		88	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-न्याय प्रशासन	
		93	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	
2.	डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2 घन्टे 30 मिनिट
		34	समाज कल्याण	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	
		64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
		79	चिकित्सा शिक्षा	
		90	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
3.	श्री कैलाश चावला, मंत्री	7	वाणिज्यिक कर	2 घन्टे
		11	वाणिज्य एवं उद्योग	
4.	श्री राघव जी, मंत्री	6	वित्त	
		31	योजना आर्थिक और सांख्यिकी	
		38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय	
		50	बीस सूत्र कार्यान्वयन	
		60	जिला परियोजना से संबंधित व्यय	
		74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		89	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-वित्त विभाग	

(1)	(2)		(3)	(4)
5.	डॉ. ढाल सिंह बिसेन, मंत्री	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2 घन्टे
		91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा	
		95	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	
6.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	13	कृषि	2 घन्टे
		17	सहकारिता	
		52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	
7.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	2 घन्टे
		28	राज्य विधान मंडल	
		42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	
		67	लोक निर्माण कार्य-भवन	
		76	लोक निर्माण कार्य से संबंधित नाबार्ड एवं विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
8.	चौधरी चंद्रभान सिंह, मंत्री	10	वन	1 घन्टे 30 मिनिट
9.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मंत्री	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घन्टे 30 मिनिट
		30	ग्रामीण विकास	
		56	ग्रामोद्योग	
		59	ग्रामीण विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		62	पंचायत	
		68	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत	
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	

(1)	(2)		(3)	(4)
10.	श्री हरनाम सिंह राठौर, मंत्री	5	जेल	1 घन्टा
		18	श्रम	
		86	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल	
11.	श्री ओमप्रकाश धुर्वे, मंत्री	43	खेल और युवक कल्याण	30 मिनिट
		77	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-खेल एवं युवक कल्याण	
12.	श्री अनूप मिश्रा, मंत्री	23	जल संसाधन	2 घन्टे
		40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय आयाकट	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		48	नर्मदा घाटी विकास	
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		78	नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
13.	श्री दिलीप भटेरे, मंत्री	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2 घन्टे
		9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	
		58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
		84	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व	
		63	अल्पसंख्यक कल्याण	
		66	पिछड़ा वर्ग कल्यण	
14.	श्री जयंत मलैया, मंत्री	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	2 घन्टे
		37	पर्यटन	
		53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		70	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-पर्यटन	

(1)	(2)		(3)	(4)
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		94	सिंहस्थ, मेला, 2004 से संबंधित व्यय	
15.	कुंवर विजय शाह, मंत्री	33	आदिम जाति कल्याण	1 घन्टा 30 मिनट
		41	आदिवासी क्षेत्र-उपयोजना	
16.	श्री रुस्तम सिंह, मंत्री	39	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1 घन्टा
17.	श्रीमती अर्चना चिटनिस, मंत्री	44	उच्च शिक्षा	2 घन्टे
		47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	
		55	महिला एवं बाल विकास	
		87	तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण-विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
18.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	21	आवास एवं पर्यावरण	1 घन्टा
		73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
19.	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	25	खनिज साधन	1 घन्टा
		26	संस्कृति	
		35	पुनर्वास	
		46	विज्ञान और टेक्नॉलाजी	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
		92	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति	
20.	श्री रामपाल सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घन्टा 30 मिनट
21.	श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	36	परिवहन	1 घन्टा
		72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	
22.	श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	16	मछलीपालन	30 मिनट

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि :-

दिनांक 28 फरवरी, 2005 से दिनांक 11 मार्च, 2005 तक की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाये तथा सभा की बैठकें सायं 6.00 बजे तक रखी जायें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः) (पूर्वानुबद्ध)

(4) श्री हमीद काजी
(5) श्री अजय सिंह "राहुल भैया"
(6) श्री रामलखन शर्मा
(7) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(8) श्रीमती सुधा जैन
(9) डॉ. सुनीलम्
(10) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(11) श्री शंकर लाल तिवारी
(12) श्री दीवान सिंह पटेल
(13) श्री धरमू राय
(14) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(15) सुश्री उषा ठाकुर
(16) श्री फूलचंद वैदिया

(चर्चा अपूर्ण)

सायं 6.01 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 22 फरवरी 2005 (फाल्गुन 3, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.